annexed) which have the highest incidence of child labour in the country. It has been decided that projects to eliminate child labour in hazardous occupation will be started as per the National Child Labour Project Scheme in these districts. At present, 12 National Child Labour Projects are under implementation in 8 States covering approximately 16,000 children. It has been estimated that an amount of Rs. 850 crores would be required to eliminate 20 lakhs child labour from hazardous occupations by the year 2000 AD. An allocation of Rs. 34.4 crores has been made in the current financial year to undertake projects for children withdrawn from work.

New package programme in Punjab

1457. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) what are the names of blocks in Punjab which have been identified under the new package programme;

(b) what are the details of the works, Government propose to take up under this programme; and

(c) what amount has been allocated for this programme in the State during the year 1995-96?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GAMANG): (a) to (c) No Plan programme under the name 'New Package Programme' is under implementation in Punjab.

अकाल की अवधि के दौरान खाद्यान्नों की मात्रा की आवश्यकता

1458. **श्री अनन्तराम जायसवाल:**
श्री सत्य प्रकाश मौलवीय:

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खाद्यान्नों की अत्यधिक कमी होने और विशेष रुप से अकाल से पैदा होने वाली स्थिति से निपटने के लिए कितने खाद्यान्नों की आवश्यकता है;

(ख) भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्न का आरक्षित भंडार कितना है और इसमें इस वर्ष आरक्षित भंडार की कितनी और अतिरिक्त मात्रा शामिल किए जाने की संभावना है;

(ग) निगम के गोदामों में खाद्यान्नों के भंडार रखने की क्या व्यवस्था की गई है तथा खुले में कितना गेहूं रखा हुआ है और रखे गये ऐसे खाद्यान्नों की स्थिति क्या है;

(घ) गोदामों में रखे गये खाद्यान्नों के भंडारों के रख-रखाव पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की जाती है और उचित रख-रखाव के अभाव तथा अन्य कारणों से प्रतिवर्ष कितना खाद्यान्न खराब हो जाता है; और

(ङ) निगम के गोदामों में खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडराण हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) सूखे से उत्पन्न होने वाली स्थिति में भारी कमी का समाधान करने के लिए खाद्यान्नों की कोई विशिष्ट मात्रा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, वर्तमान बफर स्टॉक संबंधी नीति के अनुसार वर्ष में विभिन्न तारीखों को बनाये जाने वाले न्यूनतम स्टॉक निम्नलिखित है:—

(मिलियन मीटरी टन में)

दिनांक	गेहूं	चावल	जोड़
पहली अप्रैल	3.7	10.8	14.5
पहली जुलाई	13.1	9.2	22.3
पहली अक्टूबर	10.6	6.0	16.6
पहली जनवरी	7.7	7.7	15.4

(ख) भारतीय खाद्य निगम और सरकारी एजेन्सियों के पास केन्द्रीय पूल में 1.7.95 को स्थिति के अनुसार 35.6 मिलियन मीटरी टन (16.4 मिलियन मीटरी टन चावल और 19.2 मिलियन मीटरी टन गेहूं) खाद्यान्नों का अनंतिम स्टॉक था। आगामी खरीफ विपणन मौसम 1995-96 में 13.5 मिलियन मीटरी टन खाद्यान्नों का वसूली होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) भारतीय खाद्य निगम वसूली से वितरण की अवस्था तक खाद्यान्नों का परिरक्षण और शुद्धता बनाए रखने के लिए कई उपाय करता है।